# न्यायालय सहायक कलक्टर जायल जिला नागौर
## पिठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार प्रथम (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या- 04/2019

1- पुरखाराम
2- प्रेमाराम
3- गणपतराम पिता हरदीनराम जाति जाट निवासी सरसानी तहसील नागौर जिला नागौर।

_____वादीगण

बनाम

1- हरदीनराम पुत्र शिवकरण
2- इन्दा पुत्रिया हरदीनराम
3- मैना पुत्रिया हरदीनराम जाति जाट निवासी सरसानी तहसील नागौर जिला नागौर।
4- सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

_____ प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण:-

1- श्री बस्तीराम ढाका वादीगण की ओर से।
2- श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी प्रतिवादी सं. 01 से 03 की ओर से।

-: निर्णय :-

दिनांक : 09.08.19

वादी वादीगण का संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण व प्रतिवादीगण के बडेर की पुश्तैनी भूमि मौजा डेह के खेत खसरा नम्बर 303 रकबा 08 बीघा 13 बिस्वा, खेत खसरा नं. 319/01 रकबा 10 बीघा, खेत खसरा नं. 323 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा, खेत खसरा नं. 324/02 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण आपसी सहमति व जुबानी बंटवाडा सम्वत 2070 की आखातीज को कर लिया है। बटवाडा स्कीम निम्न प्रकार है:-

1. यह है कि वादी सं. 01 पुरखाराम के हक बट कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा डेह के खेत खसरा नं. 303 रकबा 08 बीघा 13 बिस्वा पूरा, खेत खसरा नं. 319/01 रकबा 10 बीघा में से 04 बीघा 07 बिस्वा नजरीनक्शा अनुसार रखा गया।
2. वादी सं. 02 प्रेमाराम के हक बंट खातेदारी मे वाके मौजा डेह खेत खसरा नं. 324/02 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा पूरा, खेत खसरा न. 319/01 रकबा 10 बीघा में से 03 बीघा 15 बिस्वा नजरीनक्शा अनुसार रखा गया है।
3. वादी सं. 03 गणपतराम के हकबंट कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा डेह के खेत खसरा नं. 323 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा पूरा, खेत खसरा नं. 319/01 रकबा 10 बीघा में से 01 बीघा 14 बिस्वा नजरीनक्शा अनुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी सं. 04 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल के नाम मौजा डेह का खेत खसरा नं. 319/01 रकबा 10 बीघा में से 04 बिस्वा भूमि नजरीनक्शा अनुसार मार्क A से B तक रास्ता घोषित किया जाता है।

अतः दावा पेश कर इस्तदुआ वादीगण है कि वाद के पैरा संख्या 02 के उप पैरा क, ख, ग व घ के अनुसार डिक्री सादिर फरमाई जावे।

सहायक कलक्टर
जायल (नागौर)

Scanned by CamScanner

वाद वादीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 01 से 03 की और से वकील श्री शैलेन्दरसिंह कालवी ने वकालतनामा मय इकबाली जवाब पेश किया। वकील वादी व वकील प्रतिवादी सं. 01 से 03 की ओर से इनकी पहचान देकर इन की और से राजीनामा पेश किया।

वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 01 से 03 के बीच राजीनामा होने के कारण वाद में विवाधक बिन्दु तय नहीं किये गये। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ताओ वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण सं. 01 व 03 की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। सभी पक्षकारों में राजीनामा होने के कारण राजीनामे के अनुसार वादीगण का वाद निम्न प्रकार से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है :–

1. यह है कि वादी सं. 01 पुरखाराम के हक बंट कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा डेह के खेत खसरा नं. 303 रकबा 08 बीघा 13 बिस्वा पूरा, खेत खसरा नं. 319/01 रकबा 10 बीघा में से 04 बीघा 07 बिस्वा नजरीनक्शा अनुसार रखा गया।
2. वादी सं. 02 प्रेमाराम के हक बंट खातेदारी में वाके मौजा डेह खेत खसरा नं. 324/02 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा पूरा, खेत खसरा नं. 319/01 रकबा 10 बीघा में से 03 बीघा 15 बिस्वा नजरीनक्शा अनुसार रखा गया है।
3. वादी सं. 03 गणपतराम के हकबंट कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मौजा डेह के खेत खसरा नं. 323 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा पूरा, खेत खसरा नं. 319/01 रकबा 10 बीघा में से 01 बीघा 14 बिस्वा नजरीनक्शा अनुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी सं. 04 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल के नाम मौजा डेह का खेत खसरा नं. 319/01 रकबा 10 बीघा मे से 04 बिस्वा भूमि नजरीनक्शा अनुसार मार्क A से B तक रास्ता घोषित किया जाता है।

**–: आदेश :–**

अतः उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलक्टर जायल
(प्र.श्रे.धी.) जायल (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 09.08.19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलक्टर जायल
(प्र.श्रे.धी.) जायल (नागौर)

Scanned by CamScanner